CMAR
City Managers' Association, Rajasthan

CMAR NEWSLETTER

Quarterly News Letter by
City Managers' Association, Rajasthan

Issue-X
March, 2009

Promoting Excellence in City Management...

CMAR cordially welcomes the Hon'ble Minister for UDH & LSG Mr. Shanti Dhariwal, Mr. Ravi Mathur, IAS, Principal Secretary, Local Self Government, Rajasthan and Mr. Damodar Sharma, IAS, Chief Executive Officer, Jaipur Municipal Corporation.

अन्दर पढ़िए....

- Rajasthan Urban Information System: Emerging Geospatial Technologies in Urban Rajasthan 2
- Jaipur Municipal Corporation Reorients for JnNURM 3
- जनसहभागिता: विकास, विश्वास व जागरुकता..........................4
- शहरों के विकास के लिए शहरों में हो रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन 5
- Need for Dedicated Focus on Urban Health.......................6
- मानव संसाधन विकास योजना: निकायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम.........7
- नगरपालिका नियम 8
- राजस्थान नगरपालिका के प्रशिक्षु अधिशाषी अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद व सूरत का शैक्षणिक भ्रमण 9
- Jaipur Municipal Corporation venture in the field of Waste Water Management............11
- सिटी प्रोफाइल, अजमेर..........12
- जयपुर सम्पर्क......................13
- खबरें राजस्थान से..................13
- News from CMAR 15

सम्पादकीय...

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान पंजीकृत संस्था है, जिसका गठन वर्ष 2002 में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत किया गया है। USAID एवं US-AEP की गतिविधियों के क्रम में सिटी मैनेजर्स की प्रबन्धकीय विकास एवं नगरीय निकायों के क्षमतावर्धन के लिए कई राज्यों में सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन का गठन किया गया है, उनमें से राजस्थान भी एक है। यह कार्य International City/Country Management Association (ICMA) के विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया है।

संस्था का ध्येयः– गुणात्मक शहरी विकास के साथ जवाबदेह, संवेदनशील एवं पारदर्शी प्रशासन देने व सरकार की योजनाओं को उजागर करना।

संस्था का उद्देश्यः– सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए जागरुकता उत्पन्न करना, नागरिकों में अपने नागरिक दायित्वों के लिए जागरुकता का रुझान करना, नगरीय प्रबंधन में सामुदायिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देना, सिटी मैनेजर्स का प्रोफेशनल विकास करना, सूचनाओं के प्रबन्धन और प्रचार –प्रसार का विकास करना, नगर निकायों में 74वें संविधान संशोधन के तहत सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, नगर निकायों के राजस्व के स्रोत बढ़ाना व गतिशील करना, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग करना।

सी.एम.ए.आर. नगरीय विकास के विविध पहलुओं पर काम करने वाली संस्था है। यह राजस्थान सरकार द्वारा संचालित शहरी निकायों के लिए मानव संसाधन विकास योजना (ट्रेनिंग) में नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। यह संस्था स्थानीय निकायों को उनके कार्य बेहतर ढंग से एवं तकनीकी रूप से करने में प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित करवाती हैं तथा इनमें समन्वय स्थापित करती है। संस्था द्वारा एचआरडी प्लान के तहत समस्त नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही 12वें वित्त आयोग, आईईसी के तहत नगर निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ठोस कचरा प्रबन्धन पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह संस्था शहरी निकायों/विभागों द्वारा किये जा रहे सर्वोत्तम कार्यो (Best Practices) का संकलन कर स्थानीय एवं देश–विदेश के नगर निकायों में आदान–प्रदान करती हैं व विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं मे भी प्रकाशित करवाती है। साथ ही त्रैमासिक समाचार पत्र (CMAR News Letter) का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसे सभी शहरी निकायों/विभागों को भेजा जाता है।

सी.एम.ए.आर. के समस्त कार्यों का संचालन व निर्णय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर), कार्यकारी अध्यक्ष (अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर), उपाध्यक्ष (5), सचिव (आयुक्त, नगर निगम, जयपुर), कोषाध्यक्ष (मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर) व 27 सदस्यों द्वारा किये जाते हैं। कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्य राजस्थान के निकायों व अन्य शहरी विकास से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी हैं। राजस्थान के समस्त शहरी निकाय, जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास लिमिटेड, राजस्थान आवासन मण्डल व नगर सुधार न्यास सी.एम.ए.आर. के सदस्य हैं। यह संस्था सदस्यों द्वारा प्रदत्त सदस्यता शुल्क के आधार पर कार्य करती है।

इस मंच को प्रभावी एवं सफल बनाने की दिशा में आपका सहयोग अपेक्षित हैं।

पुरूषोत्तम बियाणी
कार्यकारी अध्यक्ष

Registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958,
Reg No. 569/Jaipur/2002-03, Dt. 24/08/2002

Rajasthan Urban Information System: Emerging Geospatial Technologies in Urban Rajasthan

Rakesh Vyas, GIS Expert, RajCOMP, **Dr. Sunil Kumar Pareek,** Coordinator, CMAR

Keywords: GIS, SDSS, RUIS, DGPS, GPR, UCA, UDA

E-governance is about the change of mind set: doing things electronically, efficiently and with quick results. Today, the concept of one stop Urban GIS Infrastructure is a major service delivery that inputs geospatial technologies for good governance. In Rajasthan, spatial information is still characterized by fragmentation, gaps in availability of data in spatial context, duplication of information collection and problems to access available data. Particularly at the State level, these factors cause problems for effective policy making and assessment, which are increasingly significant for e-governance issues.

The enactment of the 74th Constitution Amendment Act in 1992 brought in an objective of empowerment and devolution of powers to the Urban Local Bodies (Municipal Boards, Municipal Councils and Municipal Corporations) making them responsible for preparing the City Development Plan.

Accordingly the need to develop Rajasthan Urban Information System (RUIS) was felt; having major characteristics: participatory, consensus oriented, accountable, transparent, quick responsive, effective and efficient, equitable and inclusive. The RUIS is broadly classified into two RUIS-I & RUIS-II.

In RUIS-I, DoIT&C is in process to develop Urban geospatial data and Rajasthan Urban Data Bank and Indicators (RUDB&I) for six major cities of Rajasthan namely Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota and Udaipur. It will be a web enabled GIS system further assisted by spatial decision support system (SDSS) to enhance decision making approach by government officials.

DoIT&C on behalf of the LSG Department, GoR intends to develop RUIS-II, the Urban geospatial data having added enhanced features in spatial decision support system. As a part of this, GoR aims to cover 44 town/cities of Rajasthan. 12 of them are to be covered by State Remote Sensing Application Center and rest to be covered by a separate RFP. The RUIS is principally based on NUIS guidelines and design standards.

Data to be used:

Reliable, accurate, fast and timely availability of data is always a pre-requisite for generating good spatial database. In RUIS spatial data generation, both satellite data and ground based survey technologies play an important role and compliment each other as a source of data supply in cost and time.

(i) **Satellite Data:** Cartosat (2.5 m.) Stereo Pan, LISS-IV MX (5.8 m.), Quickbird Pan (0.60 m.) and Quickbird MX (2.5 m) are to be used for mapping urban GIS layers at various scales (1:10,000 & 1:2,000) in Urban Development Area (UDA) and Urban Core Area (UCA).

(ii) **Ground based Data**: Ground based technologies such as Differential Global Positioning System (DGPS) and Ground Penetrating Radar (GPR) equally play a major role in RUIS. The DGPS survey is used to rectify satellite images whereas GPR accounts for mapping underground utilities at 1:1,000 scale.

(iii) **Others**: Data that comes from various line departments are also taken into consideration and in process to integrate with RUIS spatial data and RUDB&I. Participation of local bodies in RUIS will enable to produce a holistic and efficient input for future urban governance initiatives.

Expected Outcome: The RUIS approach is centered towards development of a web based information and decision support system for citizens and government stakeholders apart from creation of hierarchical data sets. The scope of RUIS services covers different area of interests of Urban Local Bodies (ULBs). The RUIS will help in :-

1. **Urban Planning and Management:** RUIS will help the government planning process to develop strategies for city: economic gardening, relocation of urban poor settlements and asset management.
2. **Utilities Management:** RUIS will help stake holding departments with the data management and visualization tools necessary to support daily operations helping plan, implement and maintain the utilities such as drinking water, electricity etc.
3. **Traffic and Transportation:** The RUIS-II will have enhanced SDSS features to manage traffic in peak hours, route planning and transport management.
4. **Emergency and Crisis Management:** Emergency management encompasses a wide range of activities including flood, terrorist attack etc. RUIS will provide required data at the right time displayed logically to respond and take appropriate action.
5. **Public Health and Safety:** The RUIS data will act as a base to study factors affecting public health and illness and will help to improve the health management especially in Urban Poor Settlements.
6. **Environmental Monitoring:** The uniqueness of RUIS is in its ability to provide integrated information that comes from various sources. This will certainly help in solid waste management and improving drainage system.

7. **Local Governance:** RUIS will provide a framework for collaboration and communication by providing a common frame of reference location and allowing stakeholders to share location based information. In many municipal governments, the current GIS implementation model is file-based and stove-piped. This often leads to a proliferation of redundant data and applications. The goal of RUIS is to implement interoperable technologies, standards and methods so that the information and services can be used more efficiently and more effectively and can spend more time on the analytical capabilities getting less time searching for, compiling and integrating the data they require for their analysis activities.

8. **Navigation and Route Planning:** The road network analysis facility under SDSS of RUIS will facilitate people to find shortest route by means of time, traffic and road characteristics while Origin and Destination is flagged on the viewer.

9. **Urban Growth and Change Detection:** RUIS has the scalability to facilitate the government decision makers and planners to identify the urban sprawl and land transformation within a given time.

Jaipur Municipal Corporation Reorients for JnNURM

R.G. Dangayach, Chairman, C.T.A.G. Jaipur Municipal Corporation

Introduction: The Indian constitution provides a democratic system of Government which means Government of the people by the people and for the people. Unfortunately, this is being followed partly i.e. Govt. constituted of the people and by the people, but it could not stand correctly for the people. Leaving aside many parameters of "For the people", important parameter has now been realized to involve the participation of the people to make development & its system for the people by the people in true sense adopted under JnNURM projects.

The system: The system of development to work out schemes for the welfare of the people in many ways as known to the planners and implement the same without taking into consideration people, who are suppose to use it. They are not involved in planning nor in the process of need assessment.

As a result the desired results have not been achieved. the people are not satisfied though have an eye on the lapses of the system or development but not encouraged to interact with the authorities. JnNURM have been developed a unique system to account for wishes of the people and further extend knowledge of the benefit by the system to adjust-economize or develop related parameters for progress of the society. The cities are crowded, the rural population has migrated to the cities and development made in the last fifty years has failed because of increased pressure of population and improved standard of living. The Govt. of India, therefore has worked out a unique system to give relief to the urban people, this system is stipulated in "Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission". This is a very timely worked out system by the planners, who have long standing experience of various urban situations of the country.

Urban Development under Mission: The mission JnNURM had categorized the crowded cities in three categories.

Category I	- Cities over 4 million population	07 Nos.
Category II	- Cities having population 1-4 million	28 Nos.
Category III	- Selected cities with less than one million	28 Nos
	Total	**63 Nos.**

JnNURM is prepared to finance for renewal and providing Basic Services for the Urban Poor (BSUP), provided detailed project reports are worked out by the city level agencies i.e. Municipal Corporations, in consultation with the people concerned and according to their need and site situation. The mission assistance does not end only to the site & service development, it goes further for civic amenities such as convergence of health, education, social security, employment etc.

Unique JMC Projects for Jaipur City: We are fortunate, Jaipur City is among 28 cities identified in 2nd category i.e. population 1 to 4 million and Ministry of Urban Development has already sanctioned most utility projects for urban citizens & urban poor. Projects like Bus Rapid Transport System (BRTS) has been sanctioned for Rs. 75 Crore (First phase 7.1 Km.) on Sikar road is under execution. The whole project of North-South corridor up to Durgapura is likely to cost about 560 Crore for full length of 46.6 Km. The system is very essential for urban population now a day in view of increased cost of fuel i.e. Diesel/Petrol. Similarly sewage system phase II - Sewage Treatment Plant & sewer lines etc. sanctioned for Rs. 110 crore is likely to be completed by Year 2009, is very much essential in view of increase of sullage discharge due to increased urban area. The project is unique in view of improved sullage treatment, establishment of gas power unit to make it self sustained and providing treated water for irrigation purpose. the sullage garbage is also planned to be used as manure for agriculture. One of the most

important projects for Urban Poor Basic Service is Redevelopment of Sanjay Nagar Bhatta Basti costing about Rs. 170 Crores. This is to develop the area and rehabilitate about 12000 people, at nominal cost of housing to be born by the urban poor. The project is under execution, ground leveling work is in progress. This is one of the unique project, where in all the parameter of development have been inbuilt. The people have been informed about the project details, essential services to be provided, opportunities for employment education, health services etc. So that their involvement in utility of services becomes positive and helpful in the operation of shifting & occupying the constructed houses. There are many similar projects sanctioned for Rs. 5000 million. JMC has done remarkable work in development of sewerage treatment plant at Delawas and development works in ward No. 58 of Jaipur city. Few social organizations have already extended their co-operation in creating positive understanding, resulting in helpful attitude. Facilities like education, self-employment training to develop craftman skill or other professional aptitude, child education & other civic amenities and utilities with emphasis on universal access to the urban poor are inbuilt in the system of implementation of projects.

C T A G : To bridge the gap between the working of Govt. agencies & the understanding of people a City level Technical Advisory Group has been established by JMC, which comprises of people having expertise in social and other connected technical services. The group is likely to interact with people to understand their problem and orient the execution / project implementation process in accordance with the requirement & developed attitude of the people. The involvement of the people is obtained by creating similarity and oneness with the members of CTAG and other members of social organizations which in turn is helpful to the Govt. officers for early & proper implementation of the project. The other important jobs of CTAG are to move officers for interaction with the people and redress their problems during implementation of project for achieving proper benefit of the project. The most important contribution by the CTAG comes in the identification of projects of various kinds for the benefit of citizens; get prepared detailed project reports for processing to get funds sanctioned under JnNURM from the Ministry of Urban Development Govt. of India. The Govt. of India can finance projects for the city like Jaipur to the extend of Rs. 8600 crores per year. The mission has been planned up to Year 2012. Thus, Jaipur can get financial assistance accordingly on preparation & submission of DPRs.

जनसहभागिताः विकास, विश्वास व जागरुकता

नवीन भारद्वाज, अधिशाषी अधिकारी, बेगू नगरपालिका

राजस्थान में स्थानीय निकायों के समक्ष अनेक समस्याओं में से एक है, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी और ऊपर से नागरिकों की निकाय प्रशासन से बढ़ती अपेक्षाएँ, उनकी संख्या व जटिलता। वित्तीय संसाधनों की कमी अहम पहलू है, लेकिन स्थानीय निकाय विभाग में नवनियुक्त अधिशाषी अधिकरियों की सकारात्मक सोच, ऊर्जा, नवाचारात्मक दृष्टिकोण से पालिकाओं की स्थिति में अब सुधार आयेगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है।

प्रत्येक शहर में ऐसी अनेक संस्थाएं व्यक्ति, प्रतिष्ठान या समितियाँ हैं, जिन्हें उचित रूप से प्रोत्साहित किये जाने पर पालिकाओं द्वारा किये जाने वाले प्राथमिक या द्वितीयक कार्यों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पादित किया जा सकता है। सार्वजनिक भवन, बिजली, साफ–सफाई, नाली, सड़क, पुलिया, हैण्डपम्प, शहरी क्षेत्र में नये उद्यानों का निर्माण, पुराने उद्यानों का पुनर्निर्माण, शहरी सौन्दर्यकरण, वृक्षारोपण, चौराहों का निर्माण आदि सभी कार्यों में नागरिकों की सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। जहां विकास कार्यों में जनसहयोग प्राप्त करने से स्थानीय निकायों में वित्त की कमी से रुका पड़ा विकास उत्प्रेरित होता है, वहीं जनता की इस कार्य में सहभागिता से निकाय प्रशासन में विश्वास जागता है तथा जागरूकता में वृद्धि होती है।

सहभागिता प्राप्त करने के लिए निकाय प्रशासन को सम्बन्धित जिलाधीश, विभागीय कमिश्नर, क्षेत्रीय उप निदेशक, नगरपालिका सेवा के उच्चाधिकारियों, सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन व अधिकारियों के सहयोग से सर्वप्रथम रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाईटी या वार्ड विकास समितियों का गठन किया जाये। इन समितियों में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाकर अधिशाषी अधिकारियों व चैयरमेन द्वारा इनसे व्यापक चर्चा करके विकास सम्बन्धी कार्यो की प्राथमिकताएँ तय की जायें तथा सम्बन्धित क्षेत्र की जनता को आर्थिक सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाये। आर्थिक सहयोग के समय निकाय प्रशासन द्वारा जनता को उनके धन के सदुपयोग का विश्वास दिलाना होगा तथा पारदर्शिता का ध्यान रखना होगा।

प्रोत्साहित किये जाने पर दानदाताओं द्वारा सामग्री व श्रम दिया जाये तथा प्रशासनिक व तकनीकि पर्यवेक्षण सम्बन्धित निकाय प्रशासन का हो। खर्च के सोशल ऑडिट की व्यवस्था इसकी अनिवार्य शर्त हो। राजस्थान की बीदासर नगरपालिका जनसहयोग से विकास का एक अनुपम उदाहरण है। विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए जनता से चर्चा, समझाइश के साथ ही निर्मित परिसम्पत्ति का नियमानुसार नामकरण भी किया जा सकता है।

प्रत्येक शहरी क्षेत्र में ऐसे अनेक व्यक्ति, दानदाता, संस्थाऐं मौजूद हैं, आवश्यकता है तो बस उन्हे तलाश कर उनकी क्षमताओं को प्रोत्साहित कर विकास में उनके सहयोग को जाग्रत करने की। स्थानीय निकायों में नवनियुक्त अधिशाषी अधिकारियों को उनकी प्रशासनिक दक्षता व योग्यता का परिचय देकर चतुर्थ श्रेणी निकायों की कथित कठिन स्थिति से उबारकर उन्हें विकास के रोल मॉडल बनाकर एक अद्वितीय उदाहरण देना है।

शहरों के विकास के लिए शहरों में हो रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन

रेणु जुनेजा, जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

प्रदेश के शहरी विकास में शहरी निकायों की महत्ती भूमिका है। शहरी निकाय के दायित्व अत्यन्त व्यापक हैं। निकायों को 74वें संविधान संशोधन के उपरान्त 18 कार्य करने के दायित्व सौंपे गये हैं। इन कार्यों में सर्वोच्च प्राथमिकता शहरों की साफ–सफाई, शहरों के सौन्दर्यकरण, स्ट्रीट लाईट, घर–घर से कचरा संग्रहण, अवैध निर्माण को रोकना आदि शामिल हैं। इसके अलावा शहरी निकायों द्वारा आवारा पशुओं पर नियन्त्रण, सम्पत्ति विरूपण को रोकना, शहरों में अश्लील पोस्टर व बैनर हटाना सम्मिलित है। जनसंख्या की उतरोत्तर वृद्धि एवं शहरीकरण के दबाव के कारण निकायों पर कार्य की अधिकता होती जा रही है। शहरों के जागरुक नागरिकों का यह दायित्व है कि वे शहरों को स्वच्छ, सुन्दर एवं पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम बनाने में सहभागिता निभायें। इसके लिए शहरों में नगर निकायों के माध्यम से 'रेजिडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिएशन' का गठन किया जाये। रेजिडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिएशन नागरिकों द्वारा गठित मोहल्ले की कार्यकारी इकाई के रूप में कार्य करेंगी।

रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन गठन के उद्देश्य :– रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के उद्देश्य मोहल्ले में वृक्षारोपण, पार्क, सर्किल, सामुदायिक केन्द्रों, डिवाईडरों का संधारण, घर–घर से कचरे का संग्रहण करने की व्यवस्था, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, पोस्टर व बैनर हटाने में नगर निकायों को सहयोग करना है। इसके अलावा आवारा पशुओं पर नियंत्रण, नगर निकायों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, विकास कार्यों में मोहल्ले की आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करने में सुझाव देने के कार्य करेगी।

- रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का उद्देश्य निकायों तथा इसके संघटक के सदस्यों के साथ मिलकर सम्बंधित क्षेत्र तथा शहर की उन्नति के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता की सही भावना से सर्वोत्तम नागरिक ज्ञान उत्पन्न करने का कार्य कराना होगा।
- उस ब्लॉक में निवास करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए तथा सदस्यों में सामान्य उपयोग के लिए पुस्तकालयों तथा वाचनालय कक्षों के रख–रखाव के लिए सुविधाओं का आयोजन करना।
- निवासियों एवं पड़ौसियों के कल्याण के लिए गतिविधियाँ प्रारम्भ करना, उनके लिए प्रोत्साहित करना व उनमें भाग लेना।

सदस्यता :– रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि सदस्य उस क्षेत्र का निवासी हो जिसके लिए इसका गठन किया गया है। इसमें प्रति घर से एक व्यक्ति ही सदस्य होगा।

फीस :– प्रति सदस्य को एक बार सदस्यता के लिए 200/– रूपये का भुगतान करना होगा।

रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन पंजीयन :– आवेदन पत्र में रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन में नाम, पता, दूरभाष नं. मय 200/– रूपये पंजीयन शुल्क के साथ शहर के निकाय में जमा करवाकर एसोसिऐशन को पंजीकृत करवाया जा सकता है। पंजीयन के लिए एसोसिएशन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का भी संक्षिप्त विवरण देना होगा। एक बार पंजीयन के उपरान्त एसोसिऐशन के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 25/– रूपये शुल्क प्रत्येक माह की दस तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता निकाय की अनुमति के बिना नहीं छोड़ सकेगा। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को सदस्य बनाया जायेगा। नामित सदस्य नहीं होने पर उस व्यक्ति के स्थान पर जो व्यक्ति मृतक के नाम के विरूद्ध सदस्यता शुल्क जमा करायेगा उसे सदस्य के रूप में मान्यता दी जायेगी।

अधिकार एवं विशेषाधिकार :– रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य जिनका 3 माह से अधिक का शुल्क बकाया नहीं है, उन सभी को अग्रलिखित विशेषाधिकार प्राप्त होगें–

1. प्रत्येक पदाधिकारी को निर्वाचित करने या उस रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए
2. इस अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले व्यक्तिगत शिकायत को दूर करने के लिए

रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्य क्षेत्र :– रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्य इसके उद्देश्यों में निहित है। एसोसिएशन के प्रबन्ध का कार्य एक प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। एसोसिएशन को एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें करवाना अनिवार्य होगा। एसोसिएशन की प्रत्येक बैठक में कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। एसोसिएशन में अनियमितताएं पाये जाने पर निकाय को एसोसिएशन समाप्त करने का अधिकार होगा।

रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन "जयपुर एजेण्डा एक्शन ग्रुप" के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम द्वारा ही किया जा रहा है। इन एसोसिएशन का विस्तार एक्शन एजेण्डा ग्रुप के सात अन्य शहरों में तथा राज्य के विभिन्न निकायों में किया जाता है तो यह उत्तम कदम होगा। इससे शहरी विकास में कार्यरत निकायों को जन सहभागिता मिलेगी और निकायों को समस्याओं के समाधान में स्थानीय नागरिकों का भरपूर सहयोग होगा। एसोसिएशन गठित होने से नागरिकों को शहर के दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी होगी। इससे शहरों के नागरिक अपने शहर के प्रति अधिक जागरुक होंगे। इससे शहर अधिक साफ एवं स्वच्छ होंगे। नागरिक निकायों को उनके कर्तव्य की ओर इंगित कर सकेंगे। इसके अलावा शहर पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम बन सकेंगे। शहरों की शहरीकरण की संकल्पना में नागरिकों की भागीदारी रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से निश्चत ही विकासित होगी। इसके साथ–साथ प्रशासन का उत्तरदायित्व भी बढेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के सभी निकाय के सभी वार्डों में अधिकाधिक रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया जाए, ताकि निकाय व नागरिक मिलकर प्रदेश के शहरों को स्वच्छ–सुन्दर रखने के साथ–साथ शहरी विकास में महत्ती भूमिका का निर्वहन कर सकें।

Need for Dedicated Focus on Urban Health

Manish Tiwari, Joint Director, Social Policy Research Institute, Jaipur.

Urban growth has been exponential in India over the last few decades. While India's rural population has doubled from 1961-2001 the urban population has grown four fold. Population projections by the United Nations indicate that by 2030, India's urban population will grow to 576 million and constitute 40 per cent of the total population. The Indian demographic scenario represents a 2-3-4-5 syndrome: in the last decade, as India grew at an average annual growth rate of 2%, urban India grew at 3%, mega cities at 4% and slum populations rose by 5-6%. Estimates of poverty ratio in urban areas range from 67 million to 90 million. However, these estimates do not reflect the true magnitude of urban poverty because of "un-accounted" for, unrecognized squatter settlements and other populations residing on pavements, construction sites, fringes etc. Large Urban slum and other urban poor populations have remained unreached by the public health services. Slum dwellers in cities suffer from adverse health conditions owing to insufficient services, low awareness, and poor environment. However, the rhetoric of urban bias in development and better conditions in urban areas vis-à-vis rural areas has masked the real picture of urban poor.

The health indicators in urban slums are worse than the urban average. It is disheartening to know that the health indices for the urban poor have been consistently bad and becoming worse over the years, in some cases even worse than those of rural India. Nearly 57% of children under 3 years of age among the urban poor are malnourished while in rural areas the proportion is less than half. Almost three-fourths of deliveries among the urban poor are home deliveries, while the figure is 54% in rural areas. The child mortality rate among the urban poor too is quite similar to rural rates.

Those with the greatest need for health care often have least access to it. Reach and effectiveness of maternal and child health services in urban slums are strained by several challenges. These can be classified into the four categories viz., Systemic Factors, Urban Poor Related Factors, Weak Coordination among and limited capacity of Stakeholders, and Inadequate Political and Civil Society Consciousness. The Systemic Factors include lacking organized public sector infrastructure, and services in urban areas, higher allocation for Bigger Cities, poor access and utilization despite proximity, lack of sensitization among the service provider, poor living environment. The poverty related issues include Illegality of slums and Social Exclusion, large proportions of invisible slums, weak social fabric and temporary migration and floating populations. Weak Coordination among Stakeholders account for weak coordination among public and private urban health stakeholder, weak municipal capacity and lastly inadequate Political and Civil Society Consciousness;

This has gained attention in various government documents and polices. Way back in 1982 the government appointed the Krishnan Committee to address the problems of urban health. The health post scheme, similar to the primary health centre in rural areas, was devised for urban areas based on the recommendations of the Krishnan Committee. With rapid urban growth, health posts cover much larger populations than the stipulated criteria and the number of health posts is far less than the stipulated norms. The National Health Policy of 2002 observed that in most urban areas, public health services were very meager. The bulk of increase in urban population was likely to happen through migration, resulting in slums without infrastructure support. Even the meager public health services, which are available do not percolate to such unplanned habitations.

The State Government has initiated a number of interventions like creation of Tier-I urban health institutions covering 50,000 urban slum population, aid post for sizable no. of urban slum population (less than 50,000), linking with Tier-II institutions for referrals, referral transport from Tier-I institution for complicated delivery cases creation of local health and sanitation committees, smart card scheme etc. But all these have not been effective mainly due the above stated reasons as well as piece-meal approach of the Department.

The need of the hour is a dedicated framework like the much demanded and awaited National Urban Health Mission targeting the slum dwellers, street children and the homeless. There is hope that this programme would be able to conjure up a hope among the hitherto deprived urban section for a Healthy Future.

मानव संसाधन विकास योजनाः निकायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

रामावतार रघुवंशी, आई.ए.एस. (से.नि.), निदेशक एवं सचिव, राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान
डॉ. सुनील कुमार पारीक, समन्वयक, सी.एम.ए.आर.

पृष्ठभूमि :– स्टेट अरबन एजेण्डा फॉर राजस्थान (सुराज) के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2006 से विभाग की मानव–संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत, सुनियोजित तौर पर स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साझा प्रशिक्षण की विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई। इस कार्ययोजना के मुख्य चरण को निम्नानुसार कार्यान्वित किया गया :–

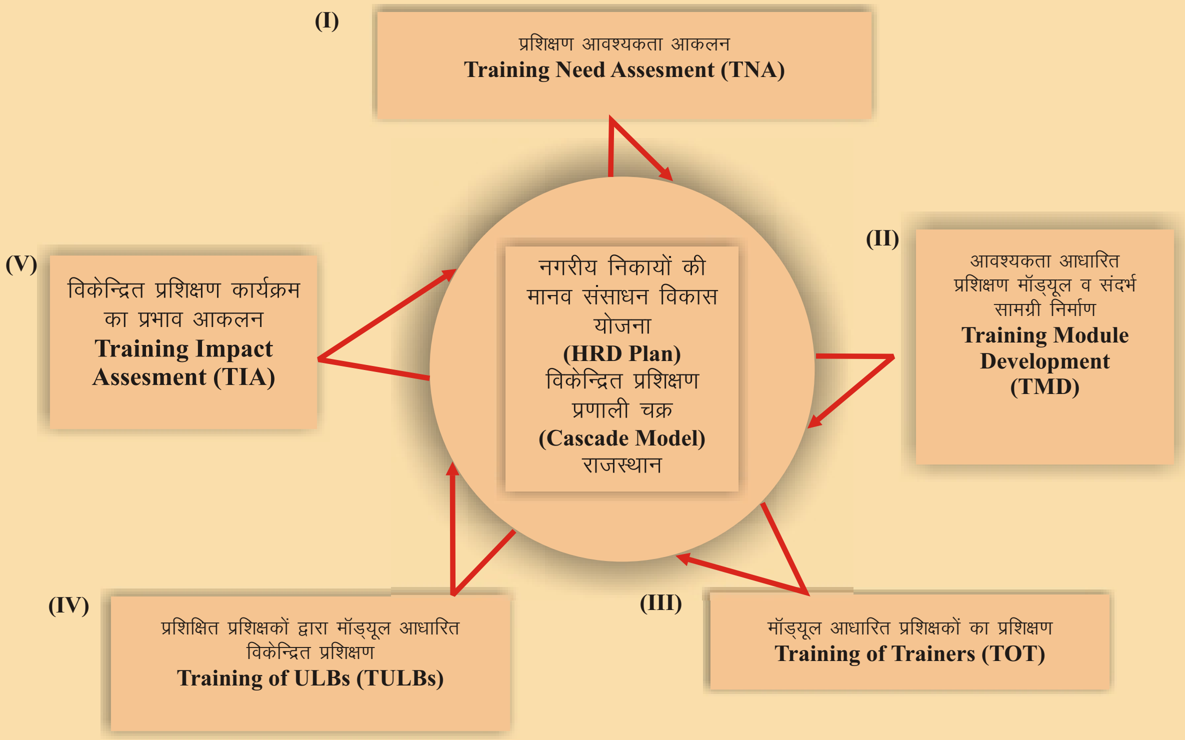

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन के लिए अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय को 'नोडल अधिकारी', सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान को 'नोडल ऐजेन्सी' तथा राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान को 'नोडल प्रशिक्षण संस्थान' बनाया गया।

प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (TNA):– प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन करने के लिये सर्वप्रथम दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 20 विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात् लगातार चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें तीनों स्तर की निकायों से महापौर, सभापति, महिला जनप्रतिनिधि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी तथा एन.जी.ओ. प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजित कार्यशालाओं में प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकतायें तय की गयी।

आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल व संदर्भ सामग्री निर्माण (TMD) :– इस कार्य की क्रियान्विति के लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल व संदर्भ सामग्री निर्माण के लिये निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् अग्रलिखित विषयों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किये गये – नगर पालिकाओं का कार्य संचालन (Conduct of Municipal Business), अधिकार, बाध्यताएं व कर्त्तव्य (Rights, Obligation & Duties), नगरपालिकाओं में सुधार (Municipal Reforms), शहरी विकास की योजनाएं (Urban Development Schemes), विकास की सोच (Vision Development), शहरी अद्यौसंरचना (Urban Infrastructure), शहरी पर्यावरण प्रबन्धन (Urban Environment Management), नगरीय वित्त (Municipal Finance), विकास कार्यों की निगरानी (Monitoring of Development Projects), लोक भागीदारी व जागरण (Peoples Participation & Awareness), जेण्डर मेनस्ट्रिमिंग (Gender Mainstreaming), शहरी निकायों का प्रशासन (Municipal Administration), इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन (E-Governance), क्षमता विकास (Skills Development)।

मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (TOT):– सर्वप्रथम जिलेवार प्रशिक्षकों की सूची तैयार की गई। सूची बनाने के लिये ध्यान रखा गया कि प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने में अनुभवी हों, उन्हे 'शहरी क्षेत्र' से संबन्धित विषयों की पूर्ण जानकारी हो साथ ही यह भी तय किया गया कि प्रशिक्षकों में 40–50 प्रतिशत महिला प्रशिक्षक हों। इसके लिये प्रत्येक संम्भाग से 12–14 प्रशिक्षकों की टीम तैयार की गई। इन प्रशिक्षकों में उन लोगों को शामिल किया गया जो कि शहरी क्षेत्रों से संबन्धित विभागों के अधिकारी या हाल ही में सेवानिवृत्त हुये हों व साथ ही अनुभवी जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये दो बैच बनाये गये। प्रत्येक बैच में 50 प्रशिक्षकों को सात दिवस का गहन प्रशिक्षण राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान, जयपुर में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया।

प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा मॉड्यूल आधारित विकेन्द्रित प्रशिक्षण (TULBs):– राज्य में निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के गहन प्रशिक्षण की एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना विभाग द्वारा तैयार की गई, जिसके माध्यम से नगरीय निकायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं जन

प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में अभिवृद्धि के प्रयास किये गये। इस मानव संसाधन विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिये जाने के लिए कुल 18 विषयों का चयन कर, अनुभवी एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञों से मॉड्यूल (पाठ्य सामग्री) तैयार कराई जा कर सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम नियत कर शुभारम्भ गांधी जयन्ती के पुनीत अवसर 02 अक्टूबर, 2006 को किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2007 तक सुचारू रूप से आयोजित किया गया। जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा की गई।

प्रशिक्षण के लिये प्रति बैच 50 प्रशिक्षु की संख्या रखी गयी । प्रथम चरण में 32 जिलों के 183 निकायों के कुल 4771 निर्वाचित जन प्रतिनिधियों में से 4260 एवं कुल 837 अधिकारियों में से 685 को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने अत्यन्त उपयोगी एवं उपादेय बताया है और यही कारण रहा है कि प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 85 से 90 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किये गये जिनमें प्रमुख शहरी विकास की परियोजनायें, लोक निजी भागीदारी एवं स्थानीय सहभागी नियोजन, नगर पालिकाओं में वित्तीय प्रबन्धन, विकास कार्यक्रमों में मॉनिटरिंग, इलैक्ट्रॉनिक अभिशासन, पालिकाओं के कार्य, अधिकार, बाध्यताएं कर्त्तव्य, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, नगर पालिकाओं में प्रशासन सुधार, नेतृत्व कला आदि हैं। 4 से 5 दिवसीय आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में फील्ड विजिट के साथ–साथ ऑडियो विजुअल तकनीक के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया गया।

विकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव आकलन (TIA):– गहन प्रशिक्षण के पश्चात् विकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव आकलन करने के लिये भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद को यह कार्य सौंपा गया। आकलन के लिये कार्यनीति बनाने हेतु राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान में एक मीटिंग भी आयोजित की गयी। प्रशिक्षण मूल्याकंन के लिये आई.आई.एम. अहमदाबाद की टीम द्वारा सभी जिलों में सर्वे किया गया। सर्वे के लिये प्रशिक्षित जनप्रतिनिधि, अधिकारियों के साथ–साथ प्रशिक्षकों को भी चुना गया। प्राप्त आंकड़ो के आधार पर उनके द्वारा एक मूल्याकंन रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि प्रशिक्षण का जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर प्रभाव रहा है, साथ ही महिला जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण से अत्यधिक लाभान्वित हुई हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का द्वितीय चरण:– प्रथम चरण में हुये प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों व भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव आकलन के आधार पर प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के लिये योजना व कार्यनीति तैयार की जायेगी।

द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई 2009 से प्रारम्भ किया जायेगा। सर्वप्रथम प्रथम चरण में प्रशिक्षण से वंचित रहे जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रथम चरण में अपनाई गई प्रशिक्षण की पाँचो विधियों के आधार पर विकेन्द्रित प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ठोस कचरा प्रबंधन, साफ–सफाई, इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन, कम्प्यूटर, आपदा प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, म्यूनिसिपल एक्ट, सरकारी कार्यक्रम व योजनायें, प्रेरणा–आचरण, व्यवहार, एक्रूअल बेस्ड डबल ऐन्ट्री अकाउटिंग सिस्टम आदि पर गहन प्रशिक्षण आयोजित करवाये जायेगें। साथ ही ऑडियो विजुअल तकनीक, केस स्टेडीज को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया जायेगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों, प्रशिक्षकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जायेगी। प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों के मध्य सहभागिता के साथ–साथ प्रत्येक सत्र के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों से मूल्यांकन प्रपत्र भी भरवाये जायेगें।

नगरपालिका नियम - एक विचार

जी.के.गोस्वामी, निदेशक (सेवा.नि.), स्थानीय निकाय विभाग

नब्बे के दशक में भारत सरकार ने 73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन कर शासन के विकेन्द्रीकरण के दो मुख्य आधारों ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने की योजना बनाई। राज्यों ने तद्नुरुप अपने तत्सम्बन्धी अध्यादेशों/नियमों को कानूनी रूप तो दिया पर व्यवहारिक रूप में नगरीय/ग्रामीण विकास को समुचित प्रगति नहीं दे पाई। प्रयासों को आगे बढाते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2004–05 में अपनी ओर से ही शहरी विकास की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए एक आदर्श संहिता बनाकर राज्यों को प्रेषित की। शहरी क्षेत्रों के लिये निर्देश ये थे कि राज्य अपनी–अपनी परिस्थितियों के अनुकूल इस आदर्श संहिता, जिसे उन्होने ''पॉलिसी प्लानिंग'' का नाम दिया को अपनावें। उन्ही दिशा–निर्देशों की पृष्ठभूमि में राजस्थान ने भी अपने आधा दशक पूर्व के (1959) नगरपालिका एक्ट को नया रूप देने का प्रयास किया, जो वर्ष 2008 में राजस्थान, नगर पालिका अध्यादेश 2008 के नाम से प्रभाव में आया। इसी दौरान तभी राज्य में चुनाव हुए व नई सरकार का गठन हुआ उनके सम्मुख अध्यादेश को एक्ट (अधिनियम) का रूप देने की चुनौती आई। भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित आदर्श संहिता में अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर राज्यों को अपने–अपने अनुसार नीतिगत निर्णयों की छूट थी। नई सरकार को लगा कि कुछ ऐसे बिन्दु हैं, जिनमें विभिन्न मतो की पृष्ठभूमि में गहन सोच विचार कर कदम उठाने की आवश्यकता है तथा यह भी कि जल्दबाजी में निर्णय ले लेना कहीं कुछ अन्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अतः प्रक्रिया के लिए उपलब्ध समय सीमा की मजबूरी एवं नये अध्यादेश हेतु सोच विचार में समय की आवश्यकता के कारण, वर्तमान अध्यादेश 2008 को ''ड्रॉप'' करते हुए, नगरपालिका एक्ट 1959 को बहाल किया गया ताकि कानूनी ''वेक्यूम'' की स्थिति न रहे। शहरी विकास की नई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में बनाई जाने वाली नई नीतियों पर एक बार पुर्नविचार कर नया कानून/नई व्यवस्था बनाने का विकल्प खुला है। आशा की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा प्रेषित आदर्श संहिता की भावनाओं के अनुरूप अध्यादेश 2008 पर पुनः मन्थन कर शीघ्र नया अधिनियम परित किया जा सकेगा।

राजस्थान नगरपालिका के प्रशिक्षु अधिशाषी अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद व सूरत का शैक्षणिक भ्रमण

स्वायत्त शासन विभाग एवं हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओ.टी.एस.) के समन्वय व सहयोग से राजस्थान नगरपालिका के प्रशिक्षु अधिशाषी अधिकारियों को उनके संस्थागत पाठ्यक्रम के दौरान श्री उपेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, आयुक्त, जयपुर नगर निगम के प्रभार में दिनांक 26 से 30 दिसम्बर, 2008 तक अहमदाबाद व सूरत शहर में नगर निगम द्वारा किये गये सर्वोत्तम कार्यो (Best Practices), शहरी पर्यावरण, सुशासन एवं नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में आये नवाचरों का गहन अध्ययन करने के लिए भेजा गया। भ्रमण की रूपरेखा तैयार करने व स्थानीय स्तर पर CMAG का विशेष सहयोग रहा। भ्रमण के दौरान परियोजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की गई:–

भीलवाड़ा नगर परिषद्:– भीलवाड़ा नगर परिषद् के चैयरमेन श्री ओमप्रकाश, आयुक्त श्री रामसिंह पालावत व राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फैडरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सारस्वत ने प्रशिक्षणार्थियों का भव्य स्वागत किया। उन्होनें नगर परिषद् के कार्यालय व कार्यकलापों का अवलोकन करवाया। इस व्यवस्था में श्री गिरीश दाधीच, आयुक्त, जयपुर नगर निगम का विशेष सहयोग रहा। नगर सुधार न्यास द्वारा गौरव पथ पर लगाये गये ट्री गार्ड, प्लांटेशन व सौन्दर्यकरण का भी प्रशिक्षणार्थियों को अवलोकन करवाया गया।

URC (Urban Resource Centre):- अहमदाबाद में SAATH गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाया जा रहा एक केन्द्र है, जिसमें सरकार द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं व योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी देकर कुछ फीस ली जाती है। इससे जनता को जहां एक ओर सेवाओं व परियोजनाओं की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर URC के कार्मिकों को आमदनी भी होती है।

उम्मीद:– अहमदाबाद में SAATH संस्था द्वारा चलाया जा रहा उम्मीद ऐसा केन्द्र है जहां बीपीएल परिवार के लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम अहमदाबाद नगर निगम, SAATH व हैरिटेज ग्रुप, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये अहमदाबाद नगर निगम द्वारा वित्त, हैरिटेज ग्रुप द्वारा तकनीकी सहयोग व SAATH संस्था द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य शहरी बेराजगारों को रोजगार दिलाने के साथ–साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। उम्मीद संस्था के कार्मिक बीपीएल परिवारों के पास जाकर उनके माता–पिता व स्वयं बेरोजगारों को रोजगार के लिये जागरूक करते हैं। उम्मीद संस्था में प्रशिक्षण पाने के लिए सहभागी की उम्र 18 से 35 वर्ष तक होने के साथ कम से कम 7वीं पास होना अनिवार्य होता है। बेरोजगारों की लिस्ट तैयार करने के साथ ही संस्था बाजार की आवश्यकता व रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वे करती है। तत्पश्चात् बेरोजगारों की अभिरूची जानने के लिए Holland Scored प्रश्नावली उपलब्ध कराई जाती है जिसमें उन्हें हां या ना में जवाब देना होता है। अभिरूची के अनुसार सहभागियों को होटल प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), ऑटो मोबाईल इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा विभिन्न संस्थानों में प्लेसमेन्ट दे दिया जाता है।

उम्मीद संस्था, अहदाबाद के परियोजना निदेशक को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए प्रशिक्षु अधिशाषी अधिकारी

प्रति प्रशिक्षणार्थी 3000 रू. के व्यय में 1000 रू. अहमदाबाद नगर निगम, 700 रू. अमेरिकन इण्डिया फाउण्डेशन, 500 रू. SAATH, 500 रू. प्रशिक्षणार्थी व 300 रू. गुजरात सरकार का योगदान रहता है। प्रशिक्षणार्थियों को 3 माह का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। उम्मीद केन्द्र द्वारा 7 बैच में 700 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हे विभिन्न जगहों पर जैसे सुभीक्षा, गोदरेज, एच.डी.एफ.सी., बजाज, होण्डा इत्यादि कम्पनियों में प्लेसमेन्ट दिया गया है।

झील संरक्षण प्रोजेक्ट:– अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कांकरिया झील का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यकरण किया गया है। नगर निगम द्वारा 35 करोड़ रूपये की लागत से झील की सफाई, सौन्दर्यकरण व लाईट एण्ड साउण्ड सिस्टम का विकास कर एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया। मानवीय उपेक्षा के कारण बदबूदार व गन्दी झील को जिस तरीके से सुन्दर व स्वच्छ बनाया गया है, यह एक अच्छा उदाहरण है।

सूरत शहर की सफाई व्यवस्था:– सूरत शहर की स्वच्छता बनाये रखने के लिए सूरत नगर निगम द्वारा व्यस्त सड़कों की सफाई रात्रिकाल में निजी ठेकेदारों द्वारा करवाई जाती है। अप्रेल 2004 से कचरा संग्रहण 'डोर टू डोर' किया जा रहा है तथा इसके लिए सहभागियों से उपभोग दर (User Charges) लिये जाते हैं। उपभोग दर देने के लिए नागरिको में जागरुकता उच्च स्तर की देखी गई। होटल व्यवसाय से होने वाले कचरे का संग्रहण व परिवहन का कार्य होटल एसोसिऐशन द्वारा ही किया जाता है।

Solid Waste Treatment Plant:- सूरत का SWTP BOT आधार पर संचालित प्लांट है जिसका संचालन 'हैनरेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड' नामक कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। प्लांट का पूरा नियंत्रण कम्प्यूटराइज्ड है तथा दो चरणो में कचरा प्रोसेस किया जाता है। प्रथम चरण में प्लांट की कचरा ग्रहण क्षमता 500 मी. टन है जबकि द्वितीय चरण में 1000 मी. टन कचरे का प्रोसेस किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 75 प्रतिशत कचरा पुनः संशोधित हो जाता है तथा शेष कचरे को लेण्ड

फिलिंग साइट पर डिस्पोज कर दिया जाता है। प्लांट से कचरा प्रोसेस होने के पश्चात् चार प्रकार के उत्पाद प्लास्टिक, ग्रीन कोल, कम्पोस्ट खाद, सैन्ड तैयार किये जाते हैं। ग्रीन कोल का उपयोग कोयले के स्थान पर किया जाता है, जो कोयले के समान ही ऊर्जा प्रदान करता है। कम्पोस्ट खाद ओमान को निर्यात कर दिया जाता है।

Biomedical Waste Treatment Plant:- भारत का दूसरा व गुजरात का प्रथम प्लांट सूरत में है जिसका संचालन BOOT आधार पर एनविजन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। शहर के समस्त हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम को इससे जोड़ा गया है। संस्थान से आये कचरे को प्रमुखतः दो भागों में बांटा जाता है। पीले थैलों में शारिरिक अंग, रक्त व मानवीय उत्सर्जन को शामिल किया जाता है। इस कचरे को 'इन्सीनरेटर' में जलाया जाता है, जबकि लाल थैलों में सिरिंज, बोतल आदि को इक्ट्ठा करके 'शेडर' में कटिंग करके तथा 'ऑटोक्लेव' कर उन्हे बीमारियों से मुक्त करके डिस्पोज किया जाता है। इसके लिये प्रत्येक हॉस्पिटल से उपभोग दर (User Charges) भी लिया जाता है।

श्री उपेन्द्रनाथ चतुर्वेदी व प्रशिक्षु अधिकारी, आयुक्त, एस. डब्लू. एम. सूरत नगर निगम को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

Centralized Bio-Medical Waste Treatment Facility Model at Surat Municipal Corporation

कार्यशाला का आयोजनः– सिटी मैनेजर्स एसोसिऐशन गुजरात, अरबन मेनेजमेन्ट सेन्टर, अहमदाबाद नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षणार्थियों के लिये अहमदाबाद नगर निगम के पश्चिमी जोन कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सिटी मैनेजर्स एसोसिऐशन गुजरात के कार्यों, अहमदाबाद

तृप्ति जैन, कार्यकारी निदेशक, सीएमएजी को समन्वयक, सीएमएआर व आलोक जैन, रीपा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

नगर निगम द्वारा ई–गर्वनेन्स, प्रोपर्टी टेक्स पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

सिटी मैनेजर्स एसोसिऐशन गुजरात का प्रस्तुतीकरण तृप्ति जैन, कार्यकारी निदेशक द्वारा किया गया। उन्होंने CMAG की संरचना तथा कार्यप्रणाली के साथ–साथ बताया कि संस्था द्वारा गुजरात के समस्त नगर निकायों के लिये डबल एन्ट्री अकाउंटिग का कार्य किया जा रहा है। CMAG का Mission Statement 'न ग र' – न – नल, ग – गटर, र – रास्ता अर्थात CMAG नल, गटर, रास्ता आदि के क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

दांये से - श्री उपेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, आयुक्त, ज.न.नि., डॉ. आलोक जैन, एसो.प्रो. रीपा, श्री यू.सी. पडीया, उपायुक्त, अहमदाबाद, न.नि. व तृप्ति जैन कार्य. नि., सीएमएजी

सम्पत्ति कर का प्रस्तुतीकरण श्री यू.सी. पडिया, उपायुक्त, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम द्वारा जल वितरण, स्वास्थ्य व चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, नगरीय परिवहन का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम में 2001 से पूर्व सम्पत्ति कर के क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं थी। 2001 के पश्चात् सम्पत्ति कर के क्षेत्र में अहमदाबाद नगर निगम में सकारात्मक बदलाव लाया गया। Taxation System को पारदर्शी बनाने के लिए Self Assessment formula बनाया गया। यह सूत्र Carpet based formulas या जिसमें Property की Locality, Site, Age, Residential or Commercial आदि को ध्यान में रखकर व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है।

यहां यह तथ्य विशेष है कि BPL परिवारों को सम्पन्न लोगों की बजाय 1/3 सम्पत्ति कर कम देना होता है। इस सूत्र को अपनाने के कारण कर

श्री उपेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, आयुक्त, ज.न.नि., मानविता बराडी, निदेशक, अरबन मैनेजमेंट सेन्टर, अहमदाबाद को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

सम्बन्धी विवादों में कमी आई है, जबकि राजस्व संग्रहण में वृद्धि 70 प्रतिशत तक हो गई है। उन्होनें बताया कि वर्ष 2008–09 के लिये राजस्व आय 360 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है, दिसम्बर, 2008 तक नगर निगम द्वारा 300 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है। अन्त में मानविता बराड़ी व मेघना मल्होत्रा, अरबन मेनेजमेन्ट सेन्टर ने प्रशिक्षणार्थियों को शहरी विकास में अधिशाषी अधिकारियों की भूमिका के बारे में बताया।

सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान, अहमदाबाद के अतिरिक्त निदेशक, श्री मुकेश गार्डी ने अपने प्रशासनिक अनुभवों के साथ जनसम्पर्क, विकास, अधिकारिक शक्तियों और कर्त्तव्यों से प्रशिक्षणार्थियो को अवगत कराया।

भ्रमण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अहमदाबाद में बीआरटीएस का भी अवलोकन करवाया गया व महात्मा गांधी की जन्मस्थली साबरमती आश्रम ले जाया गया। गांधीनगर की सुन्दरता व हरियाली के साथ–साथ अक्षरधाम के संचालन व रख–रखाव से भी अवगत करवाया गया। इस भ्रमण में आवास व भोजन की व्यवस्था सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (SPIPA) अहमदाबाद में की गई। श्री आलोक जैन, ऐसोसिएट प्रो., रीपा व समन्वयक, सी.एम.ए.आर. का भी भ्रमण में सहयोग रहा।

Jaipur Municipal Corporation venture in the field of Waste Water Management

Hemant Sharma, Executive Engineer, Jaipur Municipal Corporation

Jaipur Municipal Corporation has taken up various projects in the field of waste water management and achieved distinct place in environmental engineering next only to city of Chennai. Some of the projects worth mentioning are:-

1. 62.5mld Sewage Treatment Plant Unit-I at Delawas for Jaipur South, based on activated sludge process followed by anaerobic digestion-under O&M.
2. 62.5mld Sewage Treatment Plant Unit-II at Delawas for Jaipur South, based on activated sludge process followed by anaerobic digestion-under construction; 70% work completed; likely to be completed by May 2009.
3. 50mld Sewage Treatment Plant at Jai Singh Pura Khor for Jaipur North, based on activated sludge process followed by anaerobic digestion-under construction; 70% work completed; likely to be completed by May 2009.
4. Power generation from Bio-Gas being generated at 62.5mld Sewage Treatment Plant Unit-I at Delawas; the capacity of Power generation plant shall be 0.5 megawatt and it will generate 8800 kwh units per day making STP sustainable (STP requirement is 8600 kwh unit per day) 70% work completed; likely to be completed by March 2009.
5. 93000 connectivity to trap sullage (Waste Water from Kitchen and Bathroom) in the existing sewerage network, within walled city of Jaipur. Under construction likely to be completed by December, 2009
6. 41 km sewer line is being laid in 17 colonies situated at Delhi bye pass (from Transport Nagar to Ramgarh Mod) under construction likely to be completed by June, 2009.

- JMC is going to establish a R&D center of excellence at Delawas to provide opportunity for doing research work (Ph.D and M.Tech) in collaboration with Malviya National Institute of Technology, Jaipur. The research work will be utilized for the optimization of ASP process and power generation. JMC shall be first in India to create such facility.
- Moreover, JMC has prepared a Detailed Project Report for establishment of Tertiary Treatment Plant of capacity 20mld at Delawas (15mld ultra filtration and 5mld reverse osmosis) Thus, the water treated by tertiary treatment shall be of quality better than drinking water quality and it can be gainfully utilized in industries, saving ground water and precious Bisalpur Water.
- In order to provide sewerage facility to low lying areas JMC is going to provide a unique solution by establishing small STP's of capacity 0.5mld to 1 mld. A DPR is under preparation for providing 100% sewerage coverage to Jaipur City.
- In order to strengthen existing sewerage system JMC is preparing a DPR for study, replacement, rehabilitation and repair of sewer lines. In this project JMC plans to deploy latest mechanized techniques of replacement/ rehabilitation/curing of pipes viz; Pipe Bursting Technology, ribloc technology, CIPP Technology.
- JMC is thus wining the frontiers of Waste Water Management and showing way to other local bodies.

अजमेर : विभिन्न धर्मों व संस्कृति का स्थल

सिटी प्रोफाईल

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :– अजमेर नगर का पुराना नाम अजयमेरू है। 7वीं शताब्दी के चौहान राजा अजयराज द्वारा अजमेर शहर की स्थापना किए जाने के बाद इसका नाम अजमेर पड़ा। पृथ्वीराज चौहान अन्तिम चौहान राजा था जिसने 1193 ईस्वी तक अजमेर पर शासन किया। इसके बाद मुहम्मद गौरी व राणा कुम्भा ने अजमेर पर शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अजमेर तथा मेरवाड़ा नामक दो जिले ब्रिटिश राज के अधीन सीधे केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में विद्यमान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र स्टेट रहा तथा 1 नवम्बर 1956 को अजमेर का विलय राजस्थान में हो गया। यहां के प्राचीन स्थल तारागढ़ दुर्ग, अकबर का किला, राजपूताना म्यूजियम, ढाई दिन का झोपड़ा (12 वीं शताब्दी का विष्णु मन्दिर), बादशाह भवन (नया बाजार), टाऊन हॉल, दादाबाड़ी, सोनीजी की नसियां, आनासागर, दौलतबाग (सुभाष पार्क), फायसागर, मेयो कॉलेज, रेलवे वर्कशॉप (भारत में अकेला वर्कशॉप है जहां रेल इंजन बनते थे) आदि धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन की दृष्टि के महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। अजमेर शहर में हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं।

भौगोलिक स्थिति :– अजमेर राजस्थान राज्य के मध्य में स्थित है। यह संसार की प्राचीनतम मोड़दार अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य नाग पर्वत, मदार पर्वत व तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, जो समुद्र से 1300 फुट ऊंचा है। अजमेर नगर 200°27′ उत्तरी अक्षांश एवं 740°37′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। अजमेर का सबसे पुराना नगर तारागढ़ दुर्ग के भीतर स्थित था। शहर के पश्चिम की तरफ अरावली पहाड़ की श्रृंखला है, जो कि पश्चिमी हवाओं और तूफान से शहर को बचाती है।

जलवायु :– अजमेर शहर का गर्मियों में अधिकतम तापमान 400° सेल्सियस और शीतकाल में न्यूनतम 70° सेल्सियस रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेमी. व आर्द्रता 57 प्रतिशत रहती है। सामान्यतः ना तो यहां अधिक गर्मी रहती है, और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। सन् 1975 में अधिकतम 120 सेमी. वर्षा दर्ज की गई जिसके फलस्वरूप अजमेर को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था।

शहर का विस्तार :– अजमेर शहर की सीमा विस्तार एवं जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए शहर 55 वार्डों में विभाजित है। शहर की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र दरगाह बाजार एवं आस–पास के क्षेत्र है जहाँ पर गलियाँ बहुत तंग हैं। ढ़लान में बसे होने के कारण शहर की गलियाँ टेढ़ी–मेढ़ी हैं व नाले–नालियों की बहुतायत हैं। सम्भवतः राजस्थान के बड़े शहरों में अजमेर ही सबसे अव्यवस्थित बसा शहर है। सन् 1900 तक सुरक्षा की दृष्टि से शहर की आबादी शहर के परकोटे में ही रहती थी। सन् 1900 से 1947 तक केसरगंज, गुलाबबाड़ी, आदर्शनगर, क्रिश्चियन गंज आदि आवासीय बस्तियाँ परकोटे के बाहर विकसित हुई। सन् 1962 में नगर विकास न्यास के गठन के पश्चात् न्यास द्वारा शास्त्रीनगर, भगवानगंज, वैशालीनगर, आनासागर सरक्यूलर रोड, धोलाभाटा आवासीय योजनाओं का विकास किया गया। सन् 1990 से 2005 तक ज्वालाप्रसाद नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, पंचशील नगर, छतरी योजना, बालकृष्ण कौल नगर, अर्जुनलाल सेठी नगर, जे.पी. नगर, चन्द्रबरदाई नगर व महाराणा प्रताप नगर आवासीय योजनाओं का विकास किया।

परिवहन :– अभी अजमेर शहर वायु मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन केन्द्र सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा भू– आवंटन होने के उपरांत अजमेर शहर भी वायु मार्ग से जुड़ जाएगा। अजमेर शहर उत्तर–पश्चिम रेलवे से जुड़ा हुआ है तथा उत्तर–पश्चिम रेलवे का डिविजनल मुख्यालय है। दिल्ली से अहमदाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के मध्य अजमेर महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहां से दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुम्बई, उदयपुर आदि स्थानों के लिये रेल सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्ग में राजस्थान में अजमेर केन्द्र बिन्दु है, यहां राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8, 79 व 89 आपस में मिलते हैं। यहां से राजस्थान के सभी क्षेत्रों के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध है।

जनसंख्या :– 1941 में अजमेर शहर की जनसंख्या 1,47,258 थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के दौरान बाहर से काफी शरणार्थी आकर अजमेर में बस गए जिससे 1941–1951 के दशक में वृद्धि दर 33.53 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या 4,85,575 है। 1991–2001 के दशक में वृद्धि दर 20.6 प्रतिशत रही जो कि यह दर्शाती है कि अजमेर से अब लोगों का पलायन कम हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर का राजस्थान में पांचवां स्थान है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 5750 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है व शहर के आंतरिक भागों में कई स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व 100000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। शहर के तीन ओर पहाड़ियाँ होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। यह शहर के विकास में भी बाधक है। शहर में साक्षरता की दर 73.4 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 22 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.7 प्रतिशत है। वर्ष 2001 के अनुसार कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत 27.31 है। कुल कामगार व्यक्तियों की जनसंख्या 1,33,857 है। अजमेर शहर मुख्यतया रेलवे क्षैत्रीय यातायात का केन्द्र ओर राजकीय सेवारत श्रमिकों के लिये महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहां के लोग मुख्यतः बीड़ी, गोटा, चूड़ी, पोल्ट्री फॉर्म व्यवसाय से जुड़े है।

दर्शनीय स्थल :– अजमेर विभिन्न धर्मो के लिये प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहां विश्व के कोने–कोने से जायरीन आते हैं। वर्ष में एक बार अन्तरराष्ट्रीय उर्स मेला आयोजित किया जाता है। तारागढ़, ढाई दिन का झोपड़ा, संग्रहालय, सोनी मन्दिर, आनासागर, नारेली, पृथ्वीराज स्मारक, नारेली जैन तीर्थ, सांई बाबा मन्दिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अजमेर से 14 किमी. की दूरी पर पुष्कर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा का मंदिर है, पास ही पुष्कर झील स्थित है जहां पर कार्तिक मेला आयोजित किया जाता है। अजमेर में प्रतिदिन 4000 पर्यटक आते है, उर्स के दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 30000 व्यक्ति प्रतिदिन हो जाती है।

नगर निगम, अजमेर :– नगर निगम, अजमेर को राजस्थान की सबसे प्राचीन पालिका होने का गौरव प्राप्त है, यहां नगरपालिका की स्थापना सन् 1864 में की गई थी। प्रारम्भ में मनोनीत सदस्यों का बोर्ड गठित किया जाता था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के लागू होने के उपरांत प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1992 में नगरपालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद अजमेर में चयनित बोर्ड है। राज्य सरकार ने 30 जुलाई 2008 को अधिसूचना जारी कर नगर परिषद्, अजमेर को क्रमोन्नत कर नगर निगम का दर्जा दिया है। जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के तहत अजमेर व पुष्कर के विकास के लिए 448 करोड़ रूपये आवंटित किये जायेगें।

जयपुर सम्पर्क - जयपुर शहर शिकायत प्रबंधन तंत्र

श्री जी.एस. सन्धु, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास 'जयपुर सम्पर्क' कॉल सेन्टर का अवलोकन करते हुए

जयपुर सम्पर्क – जयपुर शहर शिकायत प्रबंधन तंत्र जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर वासियों की विभिन्न शिकायतों को दर्ज करने एवं उनका निवारण करने हेतु प्रारम्भ किया गया कॉल सेन्टर है। जिसमें जयपुर के निवासी 24 घंटे अपनी विभिन्न शिकायते जैसे सार्वजनिक प्रकाश सम्बन्धी (Street light), सीवर एंव नालियॉं सम्बन्धी (Drainage), सड़क मरम्मत (Road Cuts), कचरे सम्बन्धी (Solid Waste), एंव मृत पशु (Dead Animals), सम्बन्धी शिकायतें विभिन्न माध्यमों द्वारा दर्ज करवा सकते है। यहां पर टेलीफोन के माध्यम से (0141-3062300), एस. एम .एस. के माध्यम से (56969), वेब साइट (jaipursampark.com), एंव ई–मेल (complaint@jaipursampark.com), के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम से कर सकता है, शिकायत के पश्चात् उसे शिकायत नम्बर भी दिया जाता है ताकि शिकायत की स्थिति का पता लग सके। इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् नगर निगम के समस्त जोनो में शिकायत से संबन्धित लम्बी कतारे लगना बन्द हो गई हैं व साथ ही कार्यों को करने की प्रक्रिया को भी गति प्राप्त हुई है। यह कॉल सेन्टर स्वायत्त शासन भवन जयपुर में शुरू किया गया है तथा जयपुर नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण व राजस्थान आवासन मण्डल से सम्बंधित है।

दिनांक 20 सितम्बर 2008 को उद्घाटन से अब तक (18.03.09) कुल 10676 शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9920 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। दर्ज की गई शिकायतें सम्बन्धित अधिकारी के पास एस.एम.एस के द्वारा भेजी जाती है। जिसका निराकरण करके उन्हे 48 घंटो के अन्तर्गत सूचना अपने एरिया से सम्बन्धित ज़ोन अधिकारी को देनी होती है। जहाँ से इसकी सूचना कॉल सेन्टर को प्राप्त हो जाती है । प्रत्येक जोन पर यूजर आइडी व उसका पासवर्ड दिया गया है एंव वहां एक ऑपरेटर की व्यवस्था की गई है जिसका कार्य शिकायतों की स्थिति को जयपुर सम्पर्क साइट में दर्ज करना है। जिसका ब्यौरा ऑनलाइन होने के कारण कॉल सेन्टर में आ जाता है। कॉल सेन्टर का संचालन ई–कनेक्ट सॉल्यूशन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

खबरें राजस्थान से......

French Government delegation visits Jaipur

Hon'ble Mayor Mr. Pankaj Joshi,ERs & Official, JMC with French delegates

A three member French government delegation was in the Jaipur on 17 February, to seek cooperation from various local bodies for the programme. On this visit to the city, the delegation was looking for possibilities beyond tourism. During its discussion with the mayor and officials of Jaipur Municipal Corporation (JMC), the delegation took keen interest in the sanitation and heritage maintenance programme of the JMC and even showed willingness to have a dual city connect between Jaipur and French city of Toulouse.

Presentation by Dr. Prem Pangotra

A presentation was made by Dr. Prem Pangotra, Indian Institute of Magaement, Ahmedabad, on the topic "City Monitor 2002" (Comparing Cities) on 17 December 2008 at Jaipur Municipal Corporation. The presentation covered various aspects related to the local economy, infrastructure, civic services, municipal finances, living environment in the seven cities of India.

NIUA's e-governance Team visits Jaipur Municipal Corporation

NIUA's e-governance team comprising of Mr. RK Dahiya, Ms. Sangeeta Vijh, Ms. Indu Senan and Mr. TC Sharma visited Jaipur Municipal Corporation to explore initiatives and issues of e-governance in JMC. The team had various meetings with the JMC officials, Oswal Computers & consultants Pvt. Ltd. who have designed, developed and deployed the e-governance system in JMC. Team also visited the Directorate of Local Bodies (DLB) to look at the functioning of the Grievance Redressal System in Jaipur. CMAR extended their help in arranging meetings at JMC, DLB and also at zonal level. The visit provided important inputs to NIUA's study team on e-governance in urban local bodies in India.

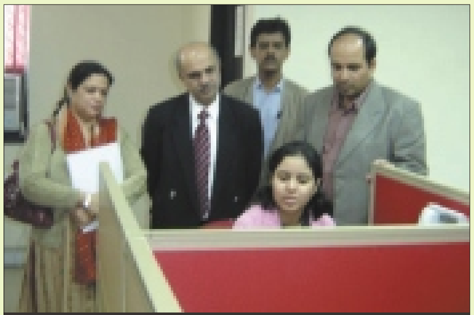

From Left - Ms. Sangeeta Vijh, Mr. R.K. Dahiya, Mr. T.C. Sharma (NIUA), Mr. Anand Mohan, PD, DLB, Ms. Dipti, Incharge Call Centre

Prof. Pathi visits Rajasthan ULB's

Prof. Srinibas Pathi, Head, Department of Public Administration, Mizoram (Central) University, Aizawal under UGC Special Assistance Programme (SAP) was on a visit to Rajasthan ULB's from 18th to 23rd January for the 'Strategies for Capicity Building in Municipal Governence in Rajasthan'.

He had a meeting with CEO and officers of JMC. Coordinator CMAR made a presentation on 'HRD Plan (Traning) for ULB's', which was followed by interaction. Prof. Pathi said the capacity building is identified with the strategy to strengthen municipal work practices and to improve the performance of urban local government institutions. He suggested that training activities and other initiatives associated with capacity building in India are coordinated by the NBO under USHA (Urban Statistics for Human Resources and Assessments), MoHUPA, GoI. He emphasized on a comprehensive publicity and awareness campaign including compilation and dissemination of relevant information in the urban areas to empower various stakeholders including the urban poor to maximize the gains of the developmental programmes as any activity under sustainable urban governance requires capacity not merely within the ULB personnel, but also outside among the community based organizations and other stakeholders. He also visited Directorate Local Bodies, Bikaner & Ajmer Municipal Corporations and discussed with the officers & ERs.

Mr. K.R. Meena , CAO & DLB Official with Prof. Pathi & Other delegates

राज्य सरकार ने पाँच नगर निकायों को क्रमोन्नत करने के साथ छः नई नगरपालिकाओं का गठन किया

राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अजमेर, बीकानेर नगर परिषद् को नगर निगम में व हनुमानगढ़, किशनगढ़, झुन्झुनू, चुरू व झालावाड़–झालरापाटन को नगर परिषद् मे क्रमोन्नत किया है। नगरपालिका झालावाड़ व झालरापाटन को एकीकृत कर नगरपरिषद् झालावड़–झालरापाटन का गठन किया गया है। साथ ही छः नई नगरपालिकाएं घड़साना, खाजूवाला, लूणकरणसर, नापासर, परतापुर व भिवाड़ी बनाई गई हैं। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में कुल 188 नगरीय निकाय हैं, उनमें नगर निगम–5, नगरपरिषद्–14, नगर पालिका द्वितीय श्रेणी–34, तृतीय श्रेणी–57 व चतुर्थ श्रेणी–78 शामिल हैं।

60 नये अधिशाषी अधिकारियों का प्रशिक्षण समापन व नियुक्ति

प्रदेश शहरी निकायों के लिए नवचयनित अधिशाषी अधिकारियों का प्रशिक्षण 2 सितम्बर को हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में शुरू हुआ। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 60 अधिशाषी अधिकारियों का चयन हुआ है। जिसमें से 22 महिला अधिकारी हैं, जो कि नगर निकायों के लिए उत्तम है। इससे निकायों में कार्य गति से होगें। इन अधिकारियों को हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रोजेक्ट बनाना, म्यूनिसपल एकाउंटिग, सीवरेज, ड्रेनेज, टाऊन प्लानिंग, नगर निकायों के कार्यों, योजनाओं, राजस्थान नगर पालिका कानून की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण अवधि में दी गई। प्रशिक्षण अवधि में शहरी समस्याओं पर भी सेमीनार आयोजित किया गया।

हृदय कुंज, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में
प्रशिक्षु अधिशाषी अधिकारी व अन्य अधिकारीगण

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को 26 से 30 दिसम्बर 2008 तक 5 दिवसीय फिल्ड विजिट के दौरान अहमदाबाद व सूरत नगर निगम के सर्वोत्तम कार्यो का अवलोकन करने के लिए भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा नवचयनित अधिशाषी अधिकारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

मुम्बई की महिला पार्षदों ने जयपुर नगर निगम का भ्रमण किया

मुम्बई महानगर पालिका की 35 महिला पार्षदों (नगर सेविकाओं) ने 3 फरवरी को निगम मुख्यालय पर महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से भेंट की। मुम्बई महानगर पालिका की महिला पार्षदों ने बताया कि वहां का वार्षिक बजट 15000 करोड़ रूपए का है। वर्तमान में वहां सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। मुम्बई महानगर पालिका की महिला बाल विकास कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष स्नेहलता एम. दल्वी ने बताया कि स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण विभाग पालिका के क्षेत्राधीन है। वहां पर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को विकास एवं रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के साथ–साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए 8.55 करोड़ का बजट स्वीकृत है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में महिला पार्षदों द्वारा स्वयं सहायता समूह (बचत गढ़) बनाकर महिलाओं को 'आधार केन्द्र' के माध्यम से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण, मोबाईल रिपेयर व हार्डवेयरिंग, मीटर वाईडिंग आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण से कच्ची बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को जोड़ा जाता है। इस कार्य के लिए 16 संगठन बनाए गए हैं। कचरा बीनने वाली महिलाओं के लिए भी संगठन बनाया गया है। इसके अलावा पार्षद प्रसूति गृह, स्वास्थ्य गृह से संबंधित जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं।

शहरो के लिए सफाई नीति जारी

राज्य सरकार ने शहरों में पुख्ता सफाई बंदोबस्त के लिए सफाई नीति (सेनीटेशन पॉलिसी) जारी की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में ये हैं प्रावधान :–

- शहरी गरीबों और महिलाओं को सफाई का पूरा लाभ मिले।
- शहरी निकाय, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कोष का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
- जिन घरों में शौचालय नहीं हैं, लेकिन जमीन का स्वामित्व है वहां आईएचएसडीपी या एकीकृत अल्प लागत शौचालय योजना में निर्माण कराया जाएगा।
- जिन घरों में शौचालय निर्माण के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, वहां सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।
- मकानों के गंदे पानी के निकास के लिए सीवरेज नेटवर्क का निर्माण होगा और घर–घर कनेक्शन जारी किए जाएंगें।
- शहरी निकाय स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करें।

News from City Managers' Association, Rajasthan

14th Executive Committee meeting of CMAR

The 14th Executive Committee meeting was held on 11th February, 2009 at Conference hall, Swayat Shasan Bhawan, Directorate of Local Bodies, in which different pending issues of the association were sorted out. Following major decision were taken in the meeting:-

The HRD Plan (Training) of ULB's Phase-II may be started from July 2009

It was decided in the meeting that CMAR can set up a library in Swayat Shasan Bhawan

General Body Meeting and election of Executive Committee of the association to be proposed in July 2009

It was also suggested all municipalities should use CMAR web site to put there information / activities

Information Education communication (IEC) Activities (Poster, Slogan etc.) may be started

Mr. Purushottam Biyani, Executive President & Executive Comitee Members of CMAR

From Left - Prof. G.K. Shrivastav, Mr. Dinesh Pareek, Dr. Sunil K. Pareek Mr. Bhupendra Mathur, Mr. Upendranath Chaturvedi, Mr. K.K. Sharma

Training Impact Assessment

The study on Impact assessment of HRD training has been carried out by Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad. A team from IIM Ahmedabad visited all the districts in the state and interacted with trained elected representative and officers of all ULBs. They also interacted with trainers, master trainers and collected information and required data for the study. Overall it was an effective training and Female ERs have been benefited.

Suggestions and recommendations from IIM-Ahmedabad on HRD Training Impact Assessment Training Report are:-

- ❑ In future the trainings may be imparted at three levels
  a. Fundamental/ Basic training for newly elected representatives/ officials
  b. Detailed training for in-depth training of topics covered.
  c. Specific training on topics like SWM, Health and hygiene, E-governance, Computer training, Disaster management.
- ❑ The methodology in such trainings should be based on Principles of Adult learning, wherein more training aids like visuals, demonstrations, case studies, role play and group activities should be used. The training must be more participative and interactive in nature.
- ❑ One/ half day orientation program should be conducted twice a year to update the councilors and officials with the new policies and government schemes.
- ❑ HRD Training needs to be more problem solving process; this could lead to attitude and behavioral change of ERs and officers.
- ❑ Training should include monitoring and evaluation. in the report this could be done through feedbacks, post tests, etc.

In report need for training on the following topics was suggested - Role and responsibilities/duties of ERs, Computer training, Government development programs/ schemes/ policies, Urban finance, Urban Infrastructure, Follow-up activity through workshops. Refresher course on Rajasthan Municipalities Act. It is decide that IIM-A study recommendation would be duly considered while taking up the second phase of the trainig programme and training program would be conducted on regular and continuous basis.

Annual conference of the City Managers' Forum (CMF) and National Workshop on Urban Shelter and Slum Re-development

YASHADA Pune, in collaboration with the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA) hosted an Annual Conference of the All India City Managers' Forum (CMF) and a National Workshop on Urban Shelter and Slum Re-development on 7th and 8th January, 2009. The workshop was attended by Mr. Anand Mohan. Project Director, Local Self Government, GoR and Dr. Sunil Kumar Pareek, Coordinator, CMAR.

This workshop addressed the question as to How the vision of 'Slum free Cities' can be translated into reality through Public-Private community partnership. Detailed discussions were held on existing State level policies related to urban shelters, affordable housing, land available for creation of shelter for the poor, alternative ways of providing affordable housing, cross-cultural comparisons with other countries, provision of livelihood opportunities for the poor, innovative ideas and models ensuring democratic mechanisms and orientation of social justice implemented in India for housing the urban poor, voices of the urban poor.

Office Bearers of CMAR

CHIEF PATORN
Mr. Shanti Dhariwal
Hon' Minister, UDH & LSG

PATRON
Mr. Ravi Mathur, IAS
Pr. Secretary, Local Self Government
Mr. G.S. Sandhu, IAS
Pr. Secretary, UDH
Mr. Umesh Kumar, IAS
Commissioner, JDA

CO-PATRONS
Mr. Pankaj Joshi
Hon' Mayor, Jaipur
Ms. Om Kumari Gehlot
Hon' Mayor. Jodhpur
Mr. Mohan Lal Mahavar
Hon' Mayor, Kota

PRESIDENT
Mr. Damodar Sharma, IAS
Chief Executive Officer
Jaipur Municipal Corporation

EXECUTIVE PRESIDENT
Mr. Purushottam Biyani
Addl. Director & Deputy Secretary
Local Self Government

SECRETARY
Mr. Rajendra Singhal
Commissioner, Jaipur Municipal Corporation

TREASURER
Mr. K.R. Meena
Chief Account Officer
Directorate of Local Bodies (DLB)

SECRETARIAT
Dr. Sunil Kumar Pareek
Urban Planner
Coordinator, Rajasthan State Operations CMAR

Editor: **Purushottam Biyani,** Executive President
Team: **Rajendra Singhal,** Secretary
Girish Dadhich, Executive Member
Dr. Sunil Kumar Pareek, Coordinator
Dharmpal Meena, Computer Operator

This newsletter is also available online at:
http://www.cmar-india.org/

Mission Statment of CMAR

To promote excellence in the city management for enhanced quality of urban life through responsive, transparent and accountable governance

What you must do to support CMAR

- Pay your /institutional dues for 2008-2009
- Encourage individual membership within your institution.
- Join fully in CMAR activities
- Be a upbeat member-organize activities at your institution.
- Donate generously & save taxes
- Keep in mind! CMAR is your institution.

Partners of CMAR

Government of Rajasthan, USAID, USAEP, ICMA, FIRE Project.
You can be part of this team, Join CMAR as a partner to strengthen CMAR for promoting excellence in city management.

Useful Links

- **Local Self Government Department, GoR** www.lsgraj.org
- **Jaipur Municipal Corporation** www.jaipurmc.org, www.jaag.in
- **Ajmer Municipal Corporation** www.ajmermc.org,
- **State Urban Agenda for Rajasthan** www.suaraj.rajasthan.gov.in
- **Urban Management Centre** www.umcasia.org, www.icma.org
- **All India Institute of Local Self Government, Mumbai** www.aiilsg.org
- **National Solid Waste Association of India** www.nswai.com

Public Relations Officer
Ms. RENU JUNEJA
Directorate of Local Bodies, Jaipur

Your suggestions and opinions about the newsletter are welcome.

CMAR City Managers' Association, Rajasthan

City Managers' Association, Rajasthan
404, Directorate of Local Bodies, G- 3, Rajmahal Residency, Near Civil Lines Railway Crossing, Jaipur
Telefax: 0141-2742250, Cell: +91 9928057993
Email: coordinator@cmar-india.org